



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082022-238431
CG-DL-E-27082022-238431

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3854]
No. 3854]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 27, 2022/भाद्र 5, 1944
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 27, 2022/BHADRA 5, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2022

सं. 29/2015-2020

विषय: एचएस कोड 1101 के तहत मर्दों की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 4028(अ).—दिनांक 4 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 31 (आरई-2012)/2009-2014 में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्र सरकार विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा-संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्यात प्रतिबंध/रोक से गेहूं या मेस्लिन का आटा (एचएस कोड 1101) पर छूट को हटाती है।

इस अधिसूचना का प्रभाव

एचएस कोड 1101 के तहत गेहूं या मेस्लिन के आटे को निर्यात प्रतिबंध/रोक से अब छूट प्राप्त नहीं है। दिनांक 4 फरवरी, 2013 की अधिसूचना सं. 31 (आरई-2012)/2009-2014 में अन्य 9 मर्दों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

[फा. सं. 01/91/180/032/एम-22/भाग-I/ईसी/ई-32553]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2022

No. 29/2015-2020

Subject: - Amendment in Export Policy of items under HS Code 1101.

S.O. 4028(E).—In partial modification of the Notification No. 31 (RE-2012)/2009-2014 dated 4th February, 2013, the Central Government, in exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, hereby withdraws the exemption on Wheat or Meslin Flour (HS Code 1101) from export restrictions/ ban.

Effect of this Notification:

Wheat or Meslin Flour under HS Code 1101 is no longer exempted from export restrictions / ban. The status of other 9 items in Notification No.31 (RE-2012)/2009-2014 dated 4th February, 2013 remains unchanged.

[F. No. 01/91/180/032/AM-22/Pt.I/EC /E- 32553]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.